

**मांग संख्या 03**  
**मुख्य शीर्ष 2055**

**मद क्रमांक 1**

पुलिस मुख्यालय के बिजली एवं जलप्रभार भुगतान हेतु ₹ 100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

1. पुलिस मुख्यालय में सेन्ट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम को लीज लाईन से जोड़ने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी मद अंतर्गत ₹ 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

2. पुलिस मुख्यालय में सेन्ट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम को लीज लाईन से जोड़ने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी मद में ₹ 100 का अग्रिम आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया है। जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 का प्रतीक प्रावधान किया गया है।

अतः इन प्रयोजनों हेतु ₹ 25,00,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3**

पुलिस मुख्यालय की सफाई व्यवस्था हेतु ₹ 40.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

पुलिस प्रशिक्षण शालाएं अंतर्गत बिजली एवं जलप्रभार मद हेतु ₹ 30.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 5**

1. बस्तर क्षेत्र एवं राजनांदगांव जिले के 9 नक्सल प्रभावित थाना क्षेत्र के छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में कार्यरत जवानों के राशन भत्ते प्रतिमाह ₹ 650 में वृद्धि कर ₹ 2000 प्रतिमाह एवं एसटीएफ के जवानों के राशन भत्ते प्रतिमाह ₹ 1200 में वृद्धि कर ₹ 2200 प्रतिमाह किए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके फलस्वरूप ₹ 601.40 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

2. बस्तर क्षेत्र के अतिसंवेदनशील क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र तथा सामान्य क्षेत्र में कार्यरत छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों को देय नक्सल भत्ता क्रमशः 50, 35 एवं 15 प्रतिशत किए जाने एवं राजनांदगांव जिले के 9 नक्सल प्रभावित पुलिस थाना क्षेत्र में 35 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया गया है, फलस्वरूप ₹ 739.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इन प्रयोजनों हेतु ₹ 13,40,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 6**

विशेष पुलिस स्थापना अंतर्गत विशेष सेवायें हेतु ₹ 70.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 70,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 7**

बस्तर क्षेत्र एवं राजनांदगांव जिले के 9 नक्सल प्रभावित पुलिस थाना क्षेत्र में विशेष पुलिस योजना अंतर्गत सामग्री पूर्तियाँ (जूते एवं बैकपैक) मद में 110.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 8 से 9**

बस्तर क्षेत्र एवं राजनांदगांव जिले के 9 नक्सल प्रभावित पुलिस थाना क्षेत्र में तैनात पुलिस बल के सहायक आरक्षकों का मूल वेतन ₹ 3500 से बढ़ाकर ₹4300 प्रतिमाह किये जाने का निर्णय लिया गया है, फलस्वरूप वेतन मद में ₹ 290.00 लाख एवं महंगाई भत्ता मद में ₹ 340.00 लाख कुल ₹ 630.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 6,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 10**

1. बस्तर क्षेत्र एवं राजनांदगांव जिले के 9 नक्सल प्रभावित पुलिस थाना क्षेत्र में कार्यरत जिला पुलिस बल, सहायक आरक्षकों एवं गोपनीय सैनिकों के राशन भत्ते ₹ 650 प्रतिमाह में वृद्धि कर

₹ 2000 प्रतिमाह किये जाने का निर्णय लिया गया है, फलस्वरूप ₹ 1458.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

2. नक्सल प्रभावित बस्तर क्षेत्र में अतिसंवेदनशील क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्र एवं सामान्य नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जिला पुलिस बल के जवानों एवं सहायक आरक्षकों को देय नक्सल भत्ता क्रमशः 50, 35 एवं 15 प्रतिशत एवं राजनांदगांव तले के 9 नक्सल प्रभावित पुलिस थाना क्षेत्र के जवानों को 35 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया है, फलस्वरूप ₹ 1790.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 32,48,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### **मद क्रमांक 11**

गोपनीय सैनिकों के 150 पदों के सृजन हेतु ₹ 120.75 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,20,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### **मद क्रमांक 12**

बस्तर क्षेत्र एवं राजनांदगांव जिले के 9 नक्सल प्रभावित पुलिस थाना क्षेत्रों में पदस्थ सहायक आरक्षकों को 1000/- प्रतिमाह स्थाई यात्राभत्ता प्रदाय करने हेतु ₹ 315.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### **मद क्रमांक 13**

जिला पुलिस स्थापना में गोपनीय सेवा मद हेतु ₹ 320.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### **मद क्रमांक 14**

बस्तर क्षेत्र एवं राजनांदगांव जिले के 9 नक्सल प्रभावित पुलिस थाना क्षेत्र में जिला पुलिस योजना अंतर्गत सामग्री पूर्तियों (जूते एवं बैकपैक) मद में ₹ 330.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### **मद क्रमांक 15 से 16**

जिला पुलिस स्थापना योजनांतर्गत 10 नग हल्का वाहन एवं 10 नग भारी वाहन क्रय हेतु ₹ 255.00 लाख का व्यय संभावित है । यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### **मद क्रमांक 17**

जिला सुकमा अंतर्गत इंजरम-गोरखा-भेज्जी एवं दोरनापाल-चिंतलनार-जगरगुण्डा एक्सिस में स्थापित कैम्पों में विद्युत व्यवस्था हेतु ₹ 361.67 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,61,67,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### **मद क्रमांक 18**

सहायक आरक्षकों एवं गोपनीय सैनिकों को बीमा का लाभ प्रदाय करने हेतु ₹ 150.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### **मद क्रमांक 19 से 20**

पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु ₹ 1000.00 लाख (केन्द्रांश 600.00 लाख, राज्यांश 400.00 लाख) का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

#### **मद क्रमांक 21 से 22**

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में नवीन थाना/चौकी निर्माण एवं सुदृढीकरण योजना अंतर्गत अतिरिक्त राज्यांश ₹ 68.75 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 68,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 4055**

**मद क्रमांक 23**

जगदलपुर में 100 बिस्तर अस्पताल एवं ट्रामा सेंटर की स्थापना हेतु इस वर्ष ₹ 100.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।